FORM NO. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

2024/199
CNR NUMBER..................

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

अन्तर्गत धारा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान् – गुटाराम व अन्य बनाम् भींयाराम व अन्य मुकदमा संख्या – A/381/2024

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
28.01.2025	प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती वनिता जोशी व नवोदिता कल्ला उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश राठी, विकास राठी व अन्य उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 की ट्रेकिंग रिपोर्ट के आधार पर आदेशिका दिनांक 08.11.2024 के द्वारा तलबी पूर्ण मानी जा चुकी है। तलबी पूर्ण उपरान्त भी आज दिनांक तक अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 द्वारा कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः जवाब की आवश्यकता न है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान् की अंतिम बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादग्रस्त भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करने तथा बिना किसी विधिक विभाजन के बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया। जिसके जवाब में अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु न्यायालय को निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में आपसी सहमति से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कब्जा काश्त होने का वर्णन किया। परन्तु उससे संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। मूलवाद में शामिल जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि सामलाती दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्राथीगण संख्या 01 से 04 को पाबंद किया जाता हैं कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 28 रकबा 18 बीघा, खसरा संख्या 32 रकबा का 08 बिस्वा व खसरा संख्या 33 का रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि वाके ग्राम ढण्ढ, तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर में प्रार्थीगण के	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
	हक हिस्से काबिज काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करे, उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, उक्त कार्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न अपने किसी रिश्तेदार, एजेन्ट या अन्य किसी के द्वारा करावें। बिना किसी विभाजन के बेचान व हस्तांतरण न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर Apsha सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	